UPMP040069062026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–2 मैनपुरी।

प्रार्थना पत्र संख्या–

वाद संख्या–118/2026

अपराध संख्या–177/2017

धारा–3/9 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998

थाना–बेवर, जिला– मैनपुरी

राज्य बनाम सतेन्द्र सिंह

आदेश

02.04.2026

1. अभियुक्त सतेन्द्र सिंह पुत्र आराम सिंह की ओर से वाद संख्या–118/2026 अपराध संख्या–177/2017 अन्तर्गत धारा–3/9 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 थाना–बेवर, जिला– मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन झूँठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा तथाकथित अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा झूँठा नामित किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3 विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभिकथित कर कथन किया गया है कि उक्त अपराध अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

5. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(रूबी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–2, मैनपुरी
J.O.CODE–UP4705

Typed by:-
V. Singh